

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 1206/2024

अनवान : -

1. असगर अली पुत्र सलाउदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मकसूद अली पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. समीयूदीन पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. मोहम्मद इदरीश पठान पुत्र सलाउदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. कासम अली पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. जमीलुदीन पठान पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. बलकीशा पत्नी स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. अशरफ पुत्र स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. अरसद पुत्र स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. असलम पुत्र स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
10. अकरम पुत्र स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. शाहीदा पुत्री पुत्र स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. जायदा पुत्री स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. नाहिदा पुत्री स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
14. शहनाज खां पुत्र जुबैदा पुत्री स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. मो० अजहरुदीन पुत्र जुबैदा पुत्री स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर।
16. आयशा पुत्री जुबैदा पुत्री स्व० मो० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
17. मेहरुनिशा पुत्री जुबैदा पुत्री स्व० ओ० आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
18. जमीला पुत्री सलामदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
19. मुन्नी उर्फ आबेदा पुत्री सलाउदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. मोहम्मद अजहर खान पुत्री हुसन बानो पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. नाजिम खान पुत्र हुसन बानों पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
22. महरु निशा खान पुत्री हुसन बानो पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
23. मोहम्मद फेजान खां पुत्र इस्माईल खां पुत्र नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
24. अफसा खान पुत्र इस्माईल खां पुत्र नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
25. नफीस पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०

अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 17/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खात स० 60/103 का क्षेत्रफल 4.7031 हैक्ट भूमि जिसमें से 6489724979/11003607915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1, 4 व 5 व अदरीश पुत्र

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

सलाउदीन व सीमूदीन पुत्र सलाउदीन प्रत्येक के नाम तथा 4255/46793 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 19, चानणाबेगम पत्नी सलाउदीन, जमीला पुत्री सलाउदीन व नूरहसन पुत्र सलाउदीन प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 11 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 11/ 10 की कुल 0.7220 हैक्ट भूमि जिसमें से अदरीश खां पुत्र सलाउदीन के 2448381/104213480 हिस्सा भूमि, असगर पुत्र सलाउदीन के नाम 157923/4887640 हिस्सा, आमीन पुत्र सलाउदीन 30/1031 हिस्सा, कासम पुत्र सलाउदीन 302/7217 हिस्सा, चानणा बेगम पत्नी सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, जमीलुदीन पुत्र सलाउदीन 124945/5210674 हिस्सा, जमीला पुत्री सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, नूरहसन पुत्री सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, मकसूद पुत्र सलाउदीन 303/7217 हिस्सा, मुनी पुत्री सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, सिमुदीन पुत्र सलाउदीन 303/7217 हिस्सा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 14 बिरानी तहसील नोहर के खाता स0 145/138 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 175/179 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 161/147 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि सलाउदीन पुत्र अब्दूलहाफिज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में सलाउदीन पुत्र अब्दुल हमीज के नाम दर्ज है। सलाउदीन पुत्र अब्दुल हमीज का देहान्त हो चुका है एवं वादी की माता चानणा बेगम पत्नी सलाउदीन की भी मृत्यु हो चुकी है व वादी के भाई आमीन पुत्र सलाउदीन भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 13 है एवं मो0 आमीन की पुत्री जुबैदा का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 है एवं वादी की बहिन नूर हसना भी फौत हो चुकी है एवं नूरहसना की एक पुत्री हुसन बानो व एक पुत्र ईस्माईल खां फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 25 है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की बहिने प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 है तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 की बुआ है एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 25 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 भानजा व भानजी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 11 ता 13 व 14 ता 17, व 18 ता 19 एवं 20 ता 25 ने उक्त वाद भूमि में से अपने समस्त हक हिस्सा का त्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 60/103 की कुल 4.7031 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 2.9683 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 बहिब 2.5213 हैक्ट भूमि पर व मृतक कासम का नाम कलमजन रहेगा एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 0.0450 हैक्ट भूमि का खातेदार काशतकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 0.7220 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से 0.416 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काशतकार रहेगे एवं मृतक कासम का नाम कलमजन रहेगा एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 161/147 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.518 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.7590 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेगे एवं रोही मौजा चक 14 बिरानी तहसील नोहर के खाता स0 145/138 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में

प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1.012 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.759 हैक्ट, प्रतिवादी स0 4 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 5 अकेला 1.5180 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंग एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 175/179 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 0.506 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 बहिब 0.506 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं मृतक सलाउदीन, चानण बेगम, कासम अली, नूरहसना, जमीला, मुन्नी का नाम कलमजन किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 25 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 26 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र इस्माईल खा, मृत्यु प्रमाण पत्र नूर हसना, मृत्यु प्रमाण पत्र चानणा, मृत्यु प्रमाण सलाउदीन पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में सलाउदीन पुत्र अब्दुल हमीज के नाम दर्ज है। सलाउदीन पुत्र अब्दुल हमीज का देहान्त हो चुका है एवं वादी की माता चानणा बेगम पत्नी सलाउदीन की भी मृत्यु हो चुकी है व वादी के भाई आमीन पुत्र सलाउदीन भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 13 है एवं मो0 आमीन की पुत्री जुबैदा का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 है एवं वादी की बहिन नूर हसना भी फौत हो चुकी है एवं नूरहसना की एक पुत्री हुसन बानो व एक पुत्र इस्माईल खां फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 25 है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की बहिने प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 है तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 की बुआ है एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 25 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

भानजा व भानजी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 11 ता 13 व 14 ता 17, व 18 ता 19 एवं 20 ता 25 ने उक्त वाद भूमि में से अपने समस्त हक हिस्सा का त्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 60/103 की कुल 4.7031 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 2.9683 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 बहिब 2.5213 हैक्ट भूमि पर व मृतक कासम का नाम कलमजन रहेगा एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 0.0450 हैक्ट भूमि का खातेदार काशतकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 0.7220 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से 0.416 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काशतकार रहेगे एवं मृतक कासम का नाम कलमजन रहेगा एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 161/147 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.518 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.7590 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेगे एवं रोही मौजा चक 14 बिरानी तहसील नोहर के खाता स0 145/138 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि मं प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1.012 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.759 हैक्ट, प्रतिवादी स0 4 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 5 अकेला 1.5180 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंग एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 175/179 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 0.506 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 बहिब 0.506 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे एवं मृतक सलाउदीन, चानण बेगम, कासम अली, नूरहसना, जमीला, मुन्नी का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 60/103 की कुल 4.7031 हैक्ट भूमि जिसमें से 6489724979/11003607915 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1, 4 व 5 व अदरीश पुत्र सलाउदीन व सीमूदीन पुत्र सलाउदीन प्रत्येक के नाम तथा 4255/46793 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 19, चानणाबेगम पत्नी सलाउदीन, जमीला पुत्री सलाउदीन व नूरहसन पुत्र सलाउदीन प्रत्येक के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 11 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 0.7220 हैक्ट भूमि जिसमें से अदरीश खां पुत्र सलाउदीन के 2448381/104213480 हिस्सा भूमि, असगर पुत्र सलाउदीन के नाम 157923/4887640 हिस्सा, आमीन पुत्र सलाउदीन 30/1031 हिस्सा, कासम पुत्र सलाउदीन 302/7217 हिस्सा, चानणा बेगम पत्नी सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, जमीलुदीन पुत्र सलाउदीन 124945/5210674 हिस्सा, जमीला पुत्री सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, नूरहसन पुत्री सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, मकसूद पुत्र


सलाउदीन 303/7217 हिस्सा, मुनी पुत्री सलाउदीन 656/7217 हिस्सा, सिमुदीन पुत्र सलाउदीन 303/7217 हिस्सा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा चक 14 बिरानी तहसील नोहर के खाता स० 145/138 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स० 175/179 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 161/147 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि सलाउदीन पुत्र अब्दूलहाफिज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में सलाउदीन पुत्र अब्दुल हमीज के नाम दर्ज है। सलाउदीन पुत्र अब्दुल हमीज का देहान्त हो चुका है एवं वादी की माता चानणा बेगम पत्नी सलाउदीन की भी मृत्यु हो चुकी है व वादी के भाई आमीन पुत्र सलाउदीन भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 13 है एवं मो० आमीन की पुत्री जुबैदा का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 है एवं वादी की बहिन नूर हसना भी फौत हो चुकी है एवं नूरहसना की एक पुत्री हुसन बानो व एक पुत्र ईस्माईल खां फौत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 25 है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की बहिने प्रतिवादी संख्या 18 ता 19 है तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 की बुआ है एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 25 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 भानजा व भानजी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 6, 11 ता 13 व 14 ता 17, व 18 ता 19 एवं 20 ता 25 ने उक्त वाद भूमि में से अपने समस्त हक हिस्सा का त्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स० 60/103 की कुल 4.7031 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 2.9683 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 5 बहिब 2.5213 हैक्ट भूमि पर व मृतक कासम का नाम कलमजन रहेगा एवं प्रतिवादी स० 2 अकेला 0.0450 हैक्ट भूमि का खातेदार काशतकार रहेगा एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 11/10 की कुल 0.7220 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से 0.416 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब के खातेदार काशतकार रहेंगे एवं मृतक कासम का नाम कलमजन रहेगा एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स० 161/147 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.518 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी स० 3 अकेला 0.7590 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे एवं रोही मौजा चक 14 बिरानी तहसील नोहर के खाता स० 145/138 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स० 2 अकेला 1.012 हैक्ट, प्रतिवादी स० 3 अकेला 0.759 हैक्ट, प्रतिवादी स० 4 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स० 5 अकेला 1.5180 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स० 175/179 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 0.506 हैक्ट भूमि व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 बहिब 0.506 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे एवं मृतक सलाउदीन, चानण बेगम, कासम अली, नूरहसना, जमीला, मुन्नी का नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य

अब्दुलखण्ड अधिकारी  
नोहर

सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 60/103 की कुल 4.7031 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 2.9686 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब व 2.537 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बहिब व 0.4316 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व कासम का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 0.7220 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से 0.5632 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेले को 0.0809 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक आमीन का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 161/147 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.518 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.7590 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 14 बिरानी तहसील नोहर के खाता स0 145/138 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1.012 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.759 हैक्ट, प्रतिवादी स0 4 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 5 अकेला 1.5180 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 175/179 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 0.506 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 को बहिब 0.506 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं जिन खातों में मृतक सलाउदीन, चानण बेगम, कासम अली, नूरहसना, जमीला, मुन्नी का नाम है को कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1206/2024

अनवान : -

1. असगर अली पुत्र सलाउदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. मकसूद अली पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. समीयूदीन पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. मोहम्मद इदरीश पठान पुत्र सलाउदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
4. कासम अली पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
5. जमीलुदीन पठान पुत्र सलाउदीन खान जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
6. बलकीशा पत्नी स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. अशरफ पुत्र स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. अरसद पुत्र स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. असलम पुत्र स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
10. अकरम पुत्र स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
11. शाहीदा पुत्री पुत्र स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
12. जायदा पुत्री स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
13. नाहिदा पुत्री स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
14. शहनाज खां पुत्र जुबैदा पुत्री स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
15. मो0 अजरुदीन पुत्र जुबैदा पुत्री स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर।
16. आयशा पुत्री जुबैदा पुत्री स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
17. मेहरुनिशा पुत्री जुबैदा पुत्री स्व0 मो0 आमीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
18. जमीला पुत्री सलामदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
19. मुन्नी उर्फ आबेदा पुत्री सलाउदीन जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
20. मोहम्मद अजर खान पुत्री हुसन बानो पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
21. नाजिम खान पुत्र हुसन बानों पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
22. महरू निशा खान पुत्री हुसन बानो पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
23. मोहम्मद फेजान खां पुत्र इस्माईल खां पुत्र नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
24. अफसा खान पुत्र इस्माईल खां पुत्र नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
25. नफीस पुत्री नूर हसना जाति पठान साकिन नोहर तहसील नोहर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 1206 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 60/103 की कुल 4.7031 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 2.9686 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 बहिब व 2.537 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बहिब व 0.4316 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व कासम का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 11/10 की कुल 0.7220 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से 0.5632 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेले को 0.0809 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक आमीन का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 161/147 की कुल 2.277 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1.518 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.7590 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 14 बिरानी तहसील नोहर के खाता स0 145/138 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 2 अकेला 1.012 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 अकेला 0.759 हैक्ट, प्रतिवादी स0 4 अकेला 1.5180 हैक्ट, प्रतिवादी स0 5 अकेला 1.5180 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी तहसील नोहर के खाता स0 175/179 की कुल 3.5420 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 0.506 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 को बहिब 0.506 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं जिन खातों में मृतक सलाउदीन, चानण बेगम, कासम अली, नूरहसना, जमीला, मुन्नी का नाम है को कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/03/2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर